विधान परिषद के प्रथम सत्र-2025 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित श्री किरण पाल कश्यप, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-7 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
7- (क) क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बतायेंगे कि पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम जिसकी स्थापना वर्ष 1991-92 में की गयी थी, जिसमें पिछडे वर्ग के कमजोर लोगों को आर्थिक उत्थान हेतु परियोजनायें स्थापित करने के लिये उन्हें ऋण उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है ?	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 की स्थापना प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1991-92 में की गयी। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली से ऋण प्राप्त कर पिछड़े वर्ग के कमजोर लोगों के आर्थिक उत्थान हेतु परियोजनायें स्थापित करने के लिए उन्हें वित्तीय वर्ष 1993-94 से वित्तीय वर्ष 2011-12 तक कुल रू0 76.42 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है। निगम वित्तीय वर्ष 2012-13 से पिछड़े वर्ग के कमजोर लोगों को आर्थिक उत्थान हेतु परियोजनायें स्थापित करने के लिये उन्हें ऋण उपलब्ध कराने का कार्य नहीं कर रहा है।
(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1991-92 में 71 करोड़ रूपये दिये गये थे?	जी नहीं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 को वर्ष 1991-92 में रू0 71.00 करोड़ नहीं दिये गये थे।
(ग) यदि नहीं, तो पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम में वर्ष 2017 से 2024 तक कितना धन आवंटित किया गया तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिये कितने व्यक्तियों को ऋण दिया गया है?	उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 को वित्तीय वर्ष 2017 से 2024 तक पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान हेतु परियोजनायें स्थापित करने के लिए कोई ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया है। फलस्वरूप किसी भी व्यक्ति को ऋण नहीं दिया गया। उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा वितरित ऋणों की वसूली लक्ष्य के अनुरूप न हो पाने के कारण राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली की अतिदेय धनराशि का पुनर्भुगतान नहीं किया जा सका, जिस कारण राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 को वित्तीय वर्ष 2012-13 से ऋण देना बंद कर दिया गया है।

नरेन्द्र कश्यप
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।